न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

अपील / रसद / 26 / 2017

रमेश चन्द उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत मई 1/2 तहसील नदबई जिला भरतपुर .... अपीलान्ट

बनाम

जिला रसद अधिकारी, (द्वितीय) भरतपुर .....रेस्पो0

अपील विरुद्व आदेश जिला रसद अधिकारी भरतपुर दिनांक 17–02–2017 प्रकरण संख्या 15 / 17

उपस्थितिः–

1–अशोक सिंघल ऐडवोकेट अभिभाषक अपीलार्थी
2–प्रवर्तन अधिकारी, पैरोकार रसद

निर्णय

दिनांक 06.08.2019

अपीलान्ट ने यह अपील तहत न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 17–02–2017 विधि के प्राकृतिक न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के खिलाफ पेश की गई है। न्यायालय द्वारा आदेश के आरोप संख्या एक में अपीलांट द्वारा आधार आई0 डी0 संख्या 452536945947 को अलग–अलग राशनकार्डों में प्राधिकृत अधिकारी की आई.डी का अवैध रूप से दुरूपयोग करते हुए जोडे जाने का आरोप सरासर गलत व निराधार है क्योंकि नाही तो अपीलांट को पोस मशीन चलाने के उक्त प्राधिकृत अधिकारी की आई.डी. की आवश्यकता होती है एवं नाही पोस मशीन से उक्त प्राधिकृत अधिकारी की आई.डी का तकनीकी रूप से दुरूपयोग किया जाना सम्भव है। तहत न्यायालय के आदेश में यह भी स्पष्ट नहीं है कि उक्त प्राधिकारी कौन है उसका पदनाम या अधिकारिता व उसके द्वारा उसकी आई.डी का उपयोग किस स्तर पर व किस कार्य के लिए होता है आदि के बारे में कुछ भी स्पष्ट नहीं किया है जिससे की अपीलांट अपना बचाव सही प्रकार से नहीं कर पाया है तथा अपीलांट किस स्तर से उसकी आई0 डी0 का उपयोग करने के लिये सम्बद्ध है आदि के बारे में कुछ भी विस्तार से वर्णित नहीं कर अपीलांट को उसके बचाव करने के विधिक अधिकारों से वंचित कर जो जैर अपीलाधीन आदेश पारित किया है काबिले खारिज रहता है। तहत न्यायालय द्वारा पारित आदेश में अपीलांट द्वारा पोस मशीन पर उक्त आधार आई0 डी0 संख्या से अलग–अलग राशनकार्डों में जोडने के पश्चात आधारकार्ड धारकों की सहायता से उनके बायोमैट्रिक पहचान चिन्ह का उपयोग करते हुए 3.70 क्विंटल गेंहू व 60

लीटर कैरोसीन का दुरूपयोग करने का जो आरोप लगाया है , सरासर गलत व निराधार है क्योंकि अपीलांट द्वारा राशन सामिग्री का वितरण राज्य सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार पूर्णतयः पोस मशीन के जरिये किया जा रहा था तथा अपीलांट के पास जो पोस मशीन है उसमें अपीलांट अपने स्तर से किसी प्रकार से कोई हैराफेरी या छेडछाड नहीं कि जा सकती है एवं उक्त पोस मशीन में अपीलांट के स्तर पर अन्य किसी आधार कार्ड को हटाकर किसी अन्य राशनकार्ड से जोडा जान संभव नहीं है नाही अपीलांट के पास उपलब्ध पोस मशीन से एक बार में एक आधार कार्ड संख्या से इतने अधिक ट्रांजेक्शन किये जा सकते हैं और नाही अपीलांट द्वारा उक्त आधारकार्ड से इतने अधिक ट्रांजेक्शन कर किसी भी प्रकार से किसी भी सामग्री का दुरूपयोग किया है। अपीलांट द्वारा सभी उपभोक्ताओं को राशन सामिग्री का वितरण निर्धारित मापदण्डों के अनुसार ही किया जाता रहा है। अतः उक्त निराधार आरोप के आधार पर अपीलांट के लाईसेंस को निरस्त करने का आदेश काबिले खारिज रहता है। न्यायिक दृष्टि से कोई भी कानून तब लागू होता है जबकि तथ्यात्मक आरोप साक्ष्य के आधार पर सिद्ध हो जावे। इस प्रकार से अपीलांट के विरूद्व पारित आदेश दिनांक 17.02.2017 को निरस्त फरमाया जावे क्योंकि अपीलांट डीलर द्वारा राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 2,11,15 व 17सी का किसी भी प्रकार से कोई उलंघन नहीं किया है। अतः श्री मान् से प्रार्थना है कि उक्त जैर अपीलाधीन आदेश को निरस्त कर अपीलांट के लाईसेंस को बहाल किया जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो एवं पत्रावली तहत तलब की गई।

अपीलान्ट अभिभाषक उपस्थित नहीं, कई बार आवाज लगवाई गई अपीलान्ट या उसके अभिभाषक उपस्थित नहीं आये एवं पूर्व में भी कई बार बहस हेतु मौका दिया जा चुका है लेकिन उपस्थित नहीं आये। रेस्पो. पैरोकार रसद ई.ओ. की बहस इकतरफा में सुनी गई।

पैरोकार रसद ने अपने कथनों में जाहिर किया कि अपीलान्ट डीलर ने आधार कार्ड नम्बर 452536945947 का धारक के राशन कार्ड के अलावा अलग–अलग राशनकार्डों में उपयोग कर उसी आधारकार्ड धारक की बायोमैट्रिक पहचान अंकित कर 3.70 क्विंटल गेंहू एवं 60 लीटर कैरोसीन का कूटरचित वितरण पोस मशीन से दर्शाया जाकर दुरुपयोग किया गया है। डीलर द्वारा राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 2,11,15 व 17 (ग) का उल्लंघन किया है। उनका कहना है कि जिला रसद अधिकारी भरतपुर द्वारा अपीलाधीन आदेश सही पारित किया गया है। अपील खारिज किये जाने की प्रार्थना की गई।

हमने पत्रावलीयों का अवलोकन किया गया। रेस्पो. पैरोकार रसद के कथनों पर गौर किया गया। अपीलान्ट या उसके वकील का उपस्थित नहीं आना यह जाहिर करता है कि उन पर लगाये गये आरोपों के सम्बन्ध में उन्हें कुछ नही कहना है।

तहत पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलान्ट डीलर द्वारा प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या शर्त संख्या 2,11,15 व 17 सी का उल्लंघन किया गया है। तहत न्यायालय द्वारा उचित निर्णय पारित किया गया है। अस्तु अपील काबिल खारिज के रहती है।

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। निर्णय प्रति के साथ तहत पत्रावली वापिस जिला रसद अधिकारी भरतपुर को लोटाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 06.08.2019 को सुनाया गया ।

(डॉ. आरुषी मलिक)
जिला कलक्टर
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official